न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः--सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–83/20 (2020/00134) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–बसन्तीलाल पिता नाथुलाल चारेड़िया (महाजन) निवासी सगरेव तह. रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 02.09.2020

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2908 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 2909 रकबा 0.45 है0, आराजी संख्या कुल किता 2 कुल रकबा 0.65 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 402 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 2908 व 2909 जो पूर्व में प्रार्थी की सामलाती आराजी संख्या 2919 व 4879/2920 जो उसकी सामलाती भूमि के समीप ही स्थित है उक्त सभी आराजियात पर आवागमन, पैदल, संज बैल ट्रेक्टर आदि के प्रार्थी बिलानाम आराजी संख्या 2906 जो मौके पर खाली पड़ी हुई से होकर आगे बिलानाम आराजी संख्या 2874 जो रास्तेनुमा नक्शे में दर्ज है लेकिन राजस्व रेकार्ड में किस्म रास्ता दर्ज नही है में होकर विपक्षी आराजियात में फसल काश्त कर रहा है उक्त रास्ता सदैव से ही प्रार्थी के खेतो में आवागमन के उपयोग में आता था लकिन इस वर्ष दिनांक 11.03.2020 को बिलानाम आराजी संख्या 2906 पर अतिक्रमी भोजा पिता मांगु गुर्जर व अन्य ने ताकत के बल पर कब्जा कर गहरी खाईयां खोद दी है तथा सम्पूर्ण बिलानाम भूमि को अपने कब्जे में लेकर लोहे की फाटक व छड़िया डालकर प्रार्थी के आवागमन का रास्ता बन्द कर दिया है। अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी की आराजी संख्या 2906 रकबा 1.02 है0 भूमि में प्रस्तावित नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाये गये रास्ते को 15 फीट चौड़ाई के रूप में राजस्व रेकार्ड में नियमानुसार डीएलसी राशि की दुगुनी राशि जमा कर उक्त रास्ते की भूमि को बिलानाम रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश एवं रास्ते की समायोजित भूमि की डीएलसी राशि विपक्षी संख्या 1 को नियमानुसार दिलाया जाने का आदेश तहसीलदार साहब रायपुर के नाम प्रदान फरमायां जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 28.07.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी की ओर से राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किये जाने कोई आपत्ति नही की।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका में अंकन किया कि ग्राम सगरेव की प्रार्थी की खातेदारी आराजी नम्बर 2908 एवं 2909 में आवागमन सरकारी रास्ता आराजी नम्बर 2850 एवं 2874 में होता हुआ बिलानाम आराजी नम्बर 2906 से होता हुआ अपनी खातेदारी आराजी में पहुँचता है। प्रार्थी आराजी नम्बर 2906 में रास्ता चाहा गया है आराजी नम्बर 2906 कुल रकबा 1.02 है0 मे से 0.04 है0 भूमि

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.16 18:09:42 IST
Reason: SelfAttested

रास्ते में प्रयोजन हेतु प्रस्तावित है जिसको नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है और वर्तमान डीएलसी दर 48915 रूपये प्रति बीघा की दर से प्रस्तावित रास्ते की भूमि किमत 9058 रूपये बनती है जिसका दुगुना करने पर मुआवजा राशि 18116 रूपये बनती है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही होना रिपोर्ट में दर्शाया गया है। रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में मुख्य कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मौका रिपोर्ट अनुसार डीएलसी दर पर रास्ता उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड तथा तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन तो पाया कि प्रार्थी वर्तमान में खसरा नम्बर 2906 से होकर आवागमन किया जा रहा है उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज है उक्त खसरा नम्बर में जहां से प्रार्थी का आवागमन हो रहा है जिसको नक्शे में लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है इसके अलावा और कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है ऐसी स्थिति प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सगरेव तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु विपक्षी संख्या 1 आराजी नम्बर 2906 1.02 है0 मे से 0.04 है0 भूमि भूमि बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड है जिसकी डीएलसी दर रूपये 48915 रूपये प्रति बीघा है। प्रस्तावित रास्ते हेतु प्रर्युक्त भूमि 0.04 है0 जिसकी डीएलसी दर अनुसार भूमि किमत 9058 रूपये बनती है जिसकी दुगुनी 18116 रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा कराने पर उक्त भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02.09.2020
(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.16 18:09:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–83 / 20 (2020 / 00134) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–बसन्तीलाल पिता नाथुलाल चारेड़िया (महाजन) निवासी सगरेव तह. रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :–तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सगरेव तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु विपक्षी संख्या 1 आराजी नम्बर 2906 1.02 है0 मे से 0.04 है0 भूमि भूमि बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड है जिसकी डीएलसी दर रूपये 48915 रूपये प्रति बीघा है। प्रस्तावित रास्ते हेतु प्रर्युक्त भूमि 0.04 है0 जिसकी डीएलसी दर अनुसार भूमि किमत 9058 रूपये बनती है जिसकी दुगुनी 18116 रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा कराने पर उक्त भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 02.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

02.09.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.16 18:09:42 IST
Reason: SelfAttested